भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 703
17.12.2018 को उत्तर के लिए

ललितपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 हेतु सघन वन के रूपांतरण हेतु क्षतिपूर्ति

703. श्री संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ललितपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 को चार लेन में बदलने के लिए कितनी वनभूमि वन विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर-वानिकी उपयोग के लिए दी गयी थी और उसकी बदलने की तिथि क्या है;

(ख) क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी गैर-वन भूमि वन विभाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दी गयी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा और तिथि क्या है; और

(ग) यदि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में गैर-वन भूमि वन विभाग को नहीं दी गई है, तो उसके कारण क्या हैं और सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डॉ. महेश शर्मा)

(क) से (ग) ललितपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 को चार लेन में बदलने के लिए 2.520 हे. मान्य वन क्षेत्र सहित 47.71 हे. वन भूमि परिवर्तन करने के लिए 18 जून, 2009 को अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार, भारत सरकार या कोई अन्य सीपीएसयू को उपयोगकर्ता एजेंसी के रूप में वनेतर क्षेत्रों के बराबर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण से छूट दी गई है। तथापि, उनके द्वारा दुगने अवक्रमित क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाना है। तदनुसार, भारतीय एनएचएआई ने दुगने अवक्रमित क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण के लिए आवश्यक राशि जमा कर दी है तथा एनएचएआई द्वारा वनेतर भूमि उपलब्ध करा दी गई है।

*****